

न्यायालय जिला जज अल्मोड़ा।
प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या-37/2022
हीरा सिंह बनाम राजेश बिष्ट

27-06-2023

वाद पुकारा गया। प्रार्थी हीरा सिंह की ओर से विद्वान श्री अक्षय जोशी एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद खान उपस्थित हैं।

20ख प्रार्थना-पत्र विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयारी नहीं हो पाने के कारण मामले में सुनवाई हेतु एक अन्य तिथि चाहने बावत पेश। प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुना। प्रार्थना-पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 31-07-2023 को सुनवाई हेतु पेश की जाये।

(कौशल किशोर शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।